कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू
(आपूर्ति शाखा)

पुर्न निविदा आमंत्रण सूचना

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड रांची के संकल्प संख्या 1553 दिनांक 04.08.2009 के आलोक में डोर स्टेप डिलिवरी के तहत वितीय वर्ष 2016–17 मे पूर्वविक्कता प्राप्त गृहस्थ योजना एवं अन्त्योदय योजना के तहत् खाद्यान्न (गेहूँ, चावल, चीनी एवं नमक) एवं अन्य विभाग के द्वारा निदेशित खाद्य सामग्री को प्रखंड स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से उठाव कर जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक पहुँचाने का कार्य किया जाना है।कई स्थानों पर ऐसे मार्ग है, जिन पर ट्रक का आवागमन संभव नहीं है। इस हेतु मिनी ट्रक, ट्रैक्टर–ट्रेलर, टाटा–407, टाटा–207, टेम्पो–ट्रेलर, पिकअपवैन या सक्षम वाहनों से परिवहन–सह–हथालन हेतु डोर स्टेप डिलिवरी की निविदा शहरी क्षेत्र डालटनगंज एवं सभी 20 (बीस) प्रखंडों के लिए अलग–अलग आमंत्रित की जाती है। निविदादाता एक से अधिक प्रखंडों में निविदा भर सकते हैं।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक–491/रांची दिनांक 11.02.16 के कंडिका– 08 में निदेशित है कि झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्नों के डोर स्टेप डिलिवरी हेतु निर्धारित राशि 30.00 रू0 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 42.50 रू0 प्रति क्विंटल किया गया है। इसमें से 2.50 रू0 प्रति क्विंटल डोर स्टेप डिलिवरी के वाहनों में जी0पी0एस0 ट्रैकिंग हेतु कर्णांकित है, जिसका क्रियान्वयन विभागीय स्तर से की जायेगी, जबकि शेष 40.00 रू0 डोर स्टेप डिलिवरी के लिए होगी। विभागीय पत्रांक 1132/रांची दिनांक 18.03.2016 के आलोक में 30.00 रू0 प्रति क्विंटल के अन्यून दर पर संविदा का निस्तारण किया जायेगा।

अतः डोर स्टेप डिलिवरी हेतु निविदा की अधिकतम राशि 40.00 (चालीस) रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित करते हुए निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा हेतु निम्नलिखित अहर्त्ता होना आवश्यक है :–

1. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में ''तकनीकी बीड'' लिखकर उसमें निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र (अग्रधन राशि का ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 सहित) एवं बैंक गारंटी एवं उसे मुहर बन्द करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।
2. दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में ''वित्तीय बीड'' अंकित करेंगे। उस लिफाफे में केवल दर अंकित करेंगे और उसे लिफाफा में डालकर उसे मुहर बन्द करेंगे। उस लिफाफा में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नहीं डाला जायेगा। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एवं पता साफ–साफ अंकित करेंगे।
3. ''तकनीकी बीड'' एवं ''वित्तीय बीड'' दोनों मुहर बन्द लिफाफे को एक साथ एक तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को मुहर बन्द करेंगे साथ ही लिफाफे के उपर शहरी क्षेत्र/प्रखंड का नाम अंकित करेंगे। उस लिफाफा पर अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उपायुक्त, पलामू के पदनाम से निविदा डालेंगे।
4. अग्रधन की राशि 50,000.00 (पच्चास हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उपायुक्त, पलामू के नाम से भुगतेय होगा।
5. कम–से–कम 5,00,000.00 (पाँच लाख) रूपये का व्यक्तिगत सम्पति प्रमाण–पत्र अंचल अधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपर्षद द्वारा निर्गत किया हुआ होना आवश्यक है।
6. 2,50,00.00 (दो लाख पच्चास हजार) रूपये का बैंक गारन्टी प्रमाण–पत्र उपायुक्त, पलामू के नाम से होना आवश्यक है। बैंक गारन्टी निविदा तिथि से न्यूनतम एक वर्ष का होना आवश्यक है।